न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 135/2024 दायर दिनॉक 18.06.2024

वादी		प्रतिवादी
1. रामरतन पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

श्री नारायणराम परिहार एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक, पटवारी हल्का सिंघाना के खेत खसरा सं0 182 रकबा 3.4800 हैक्टे0 बारानी 2 में स्थित है। उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल से सहवन से या गलती से वादी का नाम सावंरमल पुत्र हरचन्दराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम रामरतन पुत्र हरचन्द है जो सही एवं सत्य है। वादी के अन्य दस्तावेजो आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में वादी व उसके पिता का नाम रामरतन पुत्र हरचन्द अंकित है जो वास्तविक व सही है। वादी व उसके पिता का गलत नाम अंकन होने से वादी का सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए सावंरमल पुत्र हरचन्दराम का नाम हटाया जाकर प्रार्थी व उसके पिता का नाम राम रतन पुत्र हरचन्द का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। इसी बाबत यह प्रार्थना पत्र द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

राजस्व चक, पटवारी हल्का सिंघाना के खेत खसरा सं0 182 रकबा 3.4800 हैक्टे0 बारानी 2 में सावंरमल पुत्र हरचन्दराम के स्थान पर प्रार्थी व उसके पिता का नाम राम रतन पुत्र हरचन्द खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी व उसके पिता का नाम राम रतन पुत्र हरचन्द के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2024/09 दिनांक 01.01.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया सरहद [illegible] खसरा सं0 182 सावंरमल पुत्र हरचन्दराम के स्थान [illegible] प्रार्थी व [illegible] पिता का नाम राम रतन पुत्र हरचन्द दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा [illegible] तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार सरहद चक के खसरा सं0 182 में खातेदार सांवरमल पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी सिंघाना के नाम जरिये नामा. सं. (विरासत) दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरकरण में नाम सांवरमल पुत्र हरचन्दराम दर्ज हुआ है जबकि वादी गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोंट के अनुसार यह खातेदारी विरासत के आधार पर दर्ज हुई है। विरासत का नामान्तकरण जांच के उपरांत निर्णित किया गया है। विरासत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद चक पटवार हल्का सिंघाणा के खसरा सं0 182 सावंरमल पुत्र हरचन्दराम के स्थान पर प्रार्थी व उसके पिता का नाम राम रतन पुत्र हरचन्द दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:39 IST
Reason: SelfAttested